<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)</u>

राजस्वप्रकरण संख्याः– 25 / 2009 दायर तारीख 15.01.2009
276 / 10 29.04.2010

1. श्रीमती फोरी पुत्री देवा पत्नि जगदीश जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय धर गृहस्थि निवासी अतवा तहसील जावद जिला नीमच मध्य प्रदेश
2. श्रीमती कंकू पुत्री देवा पत्नि किशोर जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय धर गृहस्थि निवासी ताकडा तहसील भेसरोडगढ जिला चितौडगढ

..............वादीगण

<u>बनाम</u>

1. देवा पुत्र भंवरलाल जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय कृषि निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
2. शंभूलाल पुत्र देवा जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय श्रमीक निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
3. कमलेश पुत्र देवा जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय श्रमीक निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
4. बामणी पत्नि हीरालाल जाति बंजारा उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी बिलोवनाबडी तहसील बिजौलियां
5. धूलीलाल पुत्र भंवरलाल जाति नाई उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी आरोली तहसील बिजौलियां
6. सुंदरदेवी पत्नि गोरुलाल जाति बंजारा उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियां
7. सन्नादेवी पत्नि जयसिंह जाति बंजारा उम्र बालीग व्यवसाय खेती निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियां
8. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार बिजौलियां

..........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

गिरधारीलाल आचार्य अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः–

दिनांक 04.01.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण उपखण्ड न्यायालयं माण्डलगढ में प्रस्तुत किया जो सुनवाई के दौरान उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां में मुन्तकिल होकर प्राप्त होने से पंजीबद कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रकरण में वादीगण ने अंकित किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी नं0 2 व 3 प्रतिवादी नं0 1 की वैध संताने है। वादीयान एंव प्रतिवादी नं0 1 से 3 जन्म से हिन्दू होने के कारण उनके चल / अचल सम्पती संबंधी अधिकारों का निर्धारण हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 की व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। वादीयान एंव प्रतिवादी नं0 2 व 3

भूमि उनके पिता भंवरलाल पिता देबी नाई की खातेदारी में अभिलिखित थी। भंवरलाल की मृत्यू के पश्चात पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि प्रतिवादी नं0 1 कालू व धूलीलाल के खाते मे दर्ज हुई। कालू नाई ने अपना 1/3 हिस्सा व धूलीलाल नाई ने अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी नं0 6 व 7 को विक्रय कर दिया। वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी होने से वादीगण का उसमे जन्म से हक हिस्सा है। इस कारण उसका प्रभावी कब्जा भी वादग्रस्त जायदाद पर उनके हक अनुसार है। प्रतिवादी नं0 1 से 3 एंव वादीगण के मध्य कुछ समय से आपसी पारिवारीक मन मुटाव हो जाने के कारण आपस में नही बन रही है। प्रतिवादी नं0 1 से 3 तक ने वादीगण को पुश्तैनी जायदाद कृषि भूमि के हक से वंचित करने के लिये व प्रतिवादी नं0 1 के नाम पर विवादग्रस्त भूमि के 1/3 हिस्से की कागजी खातेदारी होने से एक विक्रयपत्र का निष्पादन प्रतिवादीया नं0 4 के नाम अनुचित तरीके से कर दिया एंव विक्रय रकम प्रतिवादी नं0 1 से 3 तक ने प्राप्त कर ली। जबकि प्रतिवादी नं0 1 को प्रतिवादी नं0 2 व 3 के साथ मिलकर वादीगण के हिस्से की भूमि के विक्रय का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि विक्रय करनें के प्रयास की जानकारी वादीगण को हुयी तो वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 को उनके हिस्से की भूमि नही बेचने हेतु सावचेत किया एंव वादीगण का हिस्सा अलग करने को कहा। प्रतिवादी नं0 1 से 3 तक को यह जानकारी हो जाने पर वादीगण अपने हिस्से की मांग को लेकर विवाद करेगी तो आनन फानन में वादीगण के हिस्से सहित प्रतिवादी नं0 4 को भूमि विक्रय कर दी। प्रतिवादी नं0 1 द्वारा कियें गये विक्रय से वादीगण का हिस्सा विक्रय होना नही माना जा सकता है। वादीगण के हिस्से पर प्रतिवादी नं0 4 के क्रय का कोई प्रभाव नही है। वादीगण के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादीया नं0 4 के पक्ष में किया गया विक्रय मूलतः अवैध व शुन्य है वादीगण प्रतिवादीगण नं0 4 के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रयपत्र को बिना निरस्त करवाये अपना हिस्सा पाने की कानूनी रुप से अधिकारीणी है। वादग्रस्त जायदाद में वादीगण प्रत्येक का 1/15 वा हिस्सा है इसलिये वादीगण को उनके हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत है। प्रतिवादी नं0 5 से 7 तक के हिस्से बाबत वादीगण को कोई विवाद नही है भूमि में सह काश्तकार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। वादीगण को उक्त विक्रयपत्र की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 3 तक को प्रतिवादीया नं0 4 से हिस्सा दिलाने के लिये कहा गया तो कुछ समय तक टालते रहे दिनांक 10.12.2008 को प्रतिवादी नं0 1 से 4 तक ने मना कर दिया कि वे वादीगण को उक्त भूमि में हिस्सेदारी व खातेदार नही मानते इसीलिये न तो भूमि उनके नाम करवायेंगे एंव न ही हिस्सा देंगे इसलिये वादीगण को यह वाद लाने का हेतु उत्पन्न हुआ है।

वादीगण ने अनुतोष चाहा है कि मौजा आरोली स्थित कृषि खातेदारी भूमि जिसका विवरण वादपत्र की चरण संख्या 4 में दिया गया है वादीगण के बनने वाले 2/15 हिससे में प्रतिवादीया नं0 4 की खातेदारी राजस्व अभिलेख से समाप्त की जाकर वादीगण को उनके बनने वाले 2/15 वे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोंषित किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण को प्रदान की जावे। वादीगण के बनने वाले हक हिस्से का मीटस एंड बाउंडस के आधार पर विभाजन किया जाकर विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरुद्व प्रतिवादीगण को प्रदान की जावे। प्रतिवादीगण को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को जबरन उनके बनने वाले हिस्से से बेदखल न करे कृषि भूमि के स्वरुप को नष्ट प्रायः न करे एंव वादीगण को काश्त करने से नही रोके। वादपत्र डिक्री फरमाई जावे।

प्रतिवादीगण 1 से 4, 6 व 7 की और से मनीष वैष्णव अधिवक्ता ने अधिकार पत्र/मय जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नं0 5 व 8 बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यो को इंकार किया तथा अंकित किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 गलत होकर अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 देवा नाई के शंभूलाल, कमलेश जो कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 है के अतिरिक्त अन्य कोई संतान नही है। वादपत्र की कलम नं0 2 गलत होकर अस्वीकार है। दिया गया सजरा पूर्णतया मिथ्या है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपनी विधिक एंव आवश्यक जरुरतों को पुरा करने की नियत से अपने परीवार के पालन पोषण करने के लिये रकम की आवश्यकता होने से अपनी खातेदारी आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 4,6,7 को विक्रय किया गया था। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किसी प्रकार का कोई रक्त एंव दत्तक संबंधि नातेदारी नहीं होने से वादीगण का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा एंव अधिकार आधिपत्य एंव स्वामित्व निहित नही है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई सव्यवहार नही हुआ है वादपत्र की उक्त गलत पूर्णतया मनगडत आधारो पर लिखी गई है। जिसका कोई ठोस आधार नही है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से किसी प्रकार से कोई हिस्सा पाने की कानूनी रुप से अधिकारीणी नही है। क्योकि वह प्रतिवादीगण संख्या 1 की उतराधिकारी वैध या अवैध रुप से नही है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की किसी प्रकार की कोई वैध या अवैध उतराधिकारी नही होने से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य नही है प्रतिवादी संख्या 5 से 7 सदभावि विक्रेता है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की वैध या अवैध उतराधिकारी नही होने से उक्त वादग्रस्त आराजीयात का मीटस एंड बाउंडस के आधार पर बटवारा किये जाने की अधिकारीणी नही है। वादीगण जब तक सक्षम सिविल न्यायालय में विक्रय पत्र निरस्त नही करवा लेते तब तक न्यायालय श्रीमान को वादपत्र सुनने का क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा खरीद की गई खरीद के बाद नामान्तरकरण प्रतिवादीगण के पक्ष में खुलचुका है। ऐसी स्थिति में खातेदारी काश्तकार के विरुद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान द्वारा जारी नही की जा सकती है। वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 नकल जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 की प्रति प्रस्तुत की है।

वादपत्र व प्रतिवादपत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी नं0 1

आया कि मौजा आरोली स्थित कृषि खातेदारी भूमि खसरा नं0 119, 120, 121, 122, 164, 165, 194, 196, 281, 282, 283, रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा वादीगण की पुश्तैनी जायदाद होकर उसमे बनने वाले उनके 2/15 हिस्से की प्रतिवादी नं 4 के स्थान पर खातेदारी दिया जाना वैध है।

.....जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 3

आया कि वादीया अपने हक हिस्से की सीमा तक काश्त करने में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप से रोकने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारीणी है। ..जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 4

आया कि प्रतिवादी नं0 1 के प्रतिवादी नं0 2 व 3 के अतिरिक्त कोई संतान नही है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5

आया कि प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 4,5 व 6 ने अपनी जरुरतों के लिये भूमि विक्रय की जो वैध है।
.....जिम्मे प्रतिवादीगण

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात का विवेचन एक साथ किया गया।

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू 1 फोरी बाई पुत्री देवा नाई पेशा खेती निवासी अतवा तहसील जावद जिला नीमच के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया गया कि मेरे दादाजी भंवरलाल जी के खाते की कृषि भूमि लगभग 20 बीघा मौजा आरोली में स्थित होकर भंवरलाल जी की मृत्यू हो चुकी है तथा उनकी मृत्यू के बाद उक्त भूमि मेरे बड़े पिता जी कालू जी मेरे पिता देवा जी और मेरे काका धूलीलाल जी के नाम पर विरासत से आ गयी उक्त भूमि में मेरे पिता जी की तीसरी पाती होकर करीब 7 बीघा भूमि उनके हिस्से में आयी जिस पर हम सभी भाई बहन काश्त कर रहे है। मेरे पिता देवा जी के 2 पुत्र क्रमशः शंभूमलाल, कमलेश हैं तथा दो पुत्रिया कंकू बाई व मै स्वयं हुँ इसके अलावा देवाजी के और कोई विधिक वारीसान नही है। मेरे पिता जी ने करीब 9–10 वर्ष पूर्व जमीन को बेचने के लिये ग्राहक ढुढने की कोशिश की तो हम बहनों ने हमारे हिस्से को बेचने से मना कर दिया तो मेरे पिता जी ने कहा कि तुम्हारा ज़मीन में कोई हिस्सा नही है हम दोनो बहिने उक्त जमीन में हमारे हिस्से को अलग करवा बटवारा करवाने हेतु खाते की नकल लेने के लिये करीब 7–8 वर्ष पूर्व पटवारी के पास गये तो उन्होने जानकारी दी की जमीन बिक चुकी है जमीन को बिलोनाबडी व एक पास के गांव के किसी बंजारे ने खरीद लिया विवादित जमीन जो हमारे पुश्तैनी जमीन बाप–दादा की होकर उसमें हमारे बनने वाले हिस्से की रजिस्ट्री को खारिज करवा भूमि पूनः हमारे खाते में दर्ज की जाकर बटवारा करवाकर हमारा हिस्सा अलग कर दिया जावे।

जिरह में लिखवाया कि मेरी शादी हो गयी है बाल्यकाल में ही मेरी शादी घर वालो ने कर दी थी में मेरे ससुराल में अतवा में 20 वर्षो से रह रही हुँ वहा मेरे ससुराल में खेती की जमीन है और वहा खेती करती हुँ। में यहा आषाढ में खेती करने आती हुँ हमारी जमीन के शामलाती खाते में कुम्हारो की जमीन है उत्तर की दिशा में देवीलाल साधु की जमीन है दक्षिण की तरफ हजारी बा, हीरालाल की जमीन है मेरे पिता जी द्वारा जमीन बेचने के दो वर्ष बाद हमे जमीन बेचने का पता चला हमने पता करते हुये पटवारी से नकल ली तो हमे पता चला की जमीन किसने खरीदी बिलोनाबाडी की कोई बंजारी है जिसने जमीन खरदी है नाम मुझे याद नही है यह कहना गलत है कि हमने खरीददार से पैसा लेने के लिये यह दावा किया बल्कि हमे हमारी जमीन चाहीये।

प्रतिवादीगण की और से भी किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कि गई। शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षिय बहस सूनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन किया कि वादीयान की और से वादीयान ने उनके बनने वाले हिस्से को सिद्व करवाने के लिये सजरा वाद की चरण संख्या 2 में बिया है। प्रतिवादी नं0 1 वादियान का पिता है एंव 2 व 3 वादियान के भाई है। वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी होकर वादियान के पिता प्रतिवादी नं0 1 के हिस्से में 1/3 हिस्सा आता है क्योकि 1/3 हिस्से में वादियान क्रमांक 1 व 2 एंव प्रतिवादी नं0 1, 2 व 3 का बराबर हिस्सा है इस प्रकार प्रत्येक के हिस्से में 1/15 वा हिस्सा आता है इस आधार पर वाद लाया जाकर अनुतोष मांगा गया है। प्रतिवादीगण की और से दिनांक 27.01.2011 को जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमे यह बचाव लिया गया कि भूमि का विक्रय पारिवारीक जरुरतों के लिये किया गया है। इसलिये वादपत्र के द्वारा भूमि विक्रय कर दिये जाने के कारण किसी प्रकार का अनुतोष पाने की अधिकारी नही है। भंवरलाल की मृत्यू के बाद उनके पुत्रों कालू व धूलीलाल व देवा को उनके हिस्से अनुसार भूमि दर्ज हुई। उसके अनुसार 1/3 हिस्सा देवा जी का बना इस प्रकार वादग्रस्त जायदाद पुश्तैनी होना साबित है।देवा प्रतिवादी एव कर्ता परिवार होकर कृषि भूमि का खातेदार है उसे पुश्तैनी जायदाद परीवार के सदस्यो का विवाह, पुश्तैनी पारिवारीक कर्ज को उतारने, परीवार के सदस्यों की बिमारी अथवा सदस्यों की शिक्षा की जरुरतों को पुरा करने के लिये भूमि का विक्रय करने का अधिकारी है। वादीयान का वाद डिक्री फरमावे देवा जी के 1/3 हिस्से में से वादीयान को 2/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब में लिया गया बचाव साक्ष्य द्वारा सिद्व नही करवाने से अस्वीकार फरमाया जावे। ग्राम आरोली स्थित खसरा नं0 119, 120, 121, 122, 164, 165, 194, 196, 281, 282, 283, रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा में बनने वाले 2/15 हिस्से की खातेदारी प्रदान करते हुये उन्हे उस हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एंव उनके हिस्से की सीमा पर भूमि का मीटस एंड बाउंडस के आधार पर बटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उनके नाम अलग से दर्ज किये जाने कि डिक्री प्रतिवादीगण के विरुद्व जारी करायी जावे।

प्रतिवादीगण ने केवल जवाब प्रस्तुत किया है । जवाब की प्रमाणिकता बाबत किसी प्रकार की मौखिक/लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है । प्रकरण भी एकपक्षीय होने से तनकीवार विवेचन नही किया जाकर एकसाथ किया गया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया ।

वादीगण ने अपने वाद में अंकित किया कि ग्राम आरोली स्थित जमाबंदी में मौजा आरोली स्थित खसरा नं0 119, 120, 121, 122, 164, 165, 194, 196, 281, 282, 283, रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा में देवा जी के 1/3 हिस्से में से वादीयान को 2/15 हिस्से का काश्तकार घोषित करा बटवारा करवाने की मांग की है। जमाबंदी सम्वत् 2017 से 2020 ईएक्स 4 में चम्पा पिता लक्ष्मण, भंवरीया पिता देबी नाई 1/3, बालू गंगाराम, नारायण, गोदू, देबीया पिता दुलह सिंह दारोगा 1/3 के आराजी रकबा बीघा भूमि विरासत से चम्पा के बजाय भंवरलाल है। ईएक्स 1 जमाबंदी

किया जा चुका है। प्रतिवादी ने अपने जवाब में यह कथन किया है कि अपनी विधिक एंव आवश्यक जरुरतो को पूरा करने की नियत से एंव अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिये रकम की आवश्यकता होने से अपनी खातेदारी आराजीयात का बेचान किया है। प्रतिवादी का यह कथन तार्किक होने से स्वीकार्य है। वादीगण द्वारा यह सिद्व नही किया गया है कि जिन पंजीबद्व विक्रयपत्रों के द्वारा भूमि का हस्तांतरण हुआ है उनको सक्षम न्यायालय द्वारा NULL & VOID घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्व विक्रयपत्र आज दिनांक को भी प्रभावी है। प्रस्तुत वादपत्र वादी अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादपत्र वादीयागण अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 04.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया